उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

संख्या:4102-औस-17/राविप/98-11(4)एफ/86

दिनांक:जून 11 ,1998.

कार्यालय-ज्ञाप

स्वेच्छा से राज्य के बाहर हृदय की बाईपास सर्जरी, पेसमेकर लगवाना, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय या मस्तिष्क की वृहद शल्य क्रिया आदि पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अब तक निर्गत सभी परिषदादेशों का अतिक्रमण करते हुए परिषद ने निम्नवत निर्णय लिया है :-

1- संजय गांधी पी.जी.आई. में उपरोक्त बीमारियों पर किये गये व्यय की प्रति पूर्ति शतप्रतिशत की जायेगी।

2- स्वैच्छा से प्रदेश के बाहर उपरोक्त बीमारियों का इलाज परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराने पर कुल व्यय का 75प्रतिशत ही प्रतिपूर्ति योग्य होगा।

3- स्वैच्छा से अभिप्राय यह है कि इसमें कर्मचारी बगैर किसी संदर्भ के प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में इलाज करा सकता है।

4- उपरोक्त बीमारियों में कर्मचारी को प्रदेश से बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में टी.ए. यात्रा एक बार और वह भी मात्र आपरेशन कराने वाली विजिट पर ही देय होगा। भविष्य में या पूर्व में चैकअप कराने जाने पर कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5- उपरोक्त प्रस्तर(2) के परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में पैकेज डील पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति मान्य होगी। अत: परिषदाज्ञा संख्या 46-डब्लू.सी/राविप/औस-उन्नीस/92-11(4)एफ/86 दिनांक 8 जनवरी 1992,द्वारा पैकेज डील पर लगी रोक समाप्त समझी जायेगी।

6- एस.जी.पी.जी.आई. और प्रदेश के बाहर के अस्पतालों के बिल से कमरे के किराए में से 20 प्रतिशत या रू.200/-प्रतिदिन जो भी कम होगा, डाइट चार्ज के मद में काट लिया जायेगा।

प्रतिपूर्ति हेतु परिषदाज्ञा संख्या 2088-एनजी-2/एसईबी(चार)-29एनजी-2/78 दिनांक 24.5.78 में निहित अन्य प्राविधान यथावत रहेगें।

यह आदेश दिनांक 21.5.1998 से प्रभावी होगें।

सचिव

संख्या: 4102-(1)-औस-17/राविप/98,तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री/मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री, उ0प्र0 के निजी सचिव को।
2. मुख्य लेखाधिकारी,उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन,लखनऊ।
3. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी,उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
6. परिषद मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/प्रशासनिक एवं लेखा लकना, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
7. अपर सचिव(वित्त एवं कार्मिक नीति) उ0प्र0राविप, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी(मुख्यालय), उ0प्र0राविप, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी